

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 472(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 फरवरी, 1996 की अधिसूचना सं० का० आ० 92 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “करूणा ट्रस्ट, 22, गौतम नगर, समीप नारणपुरा-रेलवे क्रॉसिंग, अहमदाबाद-13” द्वारा “सारे गुजरात में आंखों का ऑपरेशन, पोलियो ऑपरेशन कैंप, ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा और एम्बुलेंस सेवा के संचालन” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1996-97 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में क्रम सं० 5 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं० का० आ० 57 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 20.06.2001 की अधिसूचना सं० का० आ० 539 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 02.02.2005 की अधिसूचना सं० का० आ० 143 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 04 जून, 2008 की अधिसूचना सं० का० आ० 1307 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं० का० आ० 3861 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं० का० आ० 539 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 94.00 लाख ₹0 से बढ़ाकर 128.00 लाख ₹0 कर दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं० का० आ० 1307 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 128.00 लाख ₹0 से बढ़ाकर 153.00 लाख ₹0 कर दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं० का० आ० 3861 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 153 लाख ₹0 से बढ़ाकर 200 लाख ₹0 कर दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के 200 लाख ₹0 से बढ़कर 270 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सहित 470 लाख रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 200 लाख ₹0 से बढ़ाकर 270 लाख ₹0 की कॉर्पस निधि सहित 470 लाख ₹0 करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 02 फरवरी, 1996 की उक्त अधिसूचना सं० का०आ० 92 (अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामतः-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 5 की सारणी के कॉलम 4 में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित “200 लाख रूपए” अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए “270 लाख रूपए की कॉर्पर्स निधि सहित 470 लाख रूपये” अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 102/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मन्मथन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)